राजस्थान सरकार

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/e-GRAS/ 5103-5252 दिनांक 22/6/2017

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– मैनुअल चालान को ई–मोड़ पर किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र दिनांक 17.04.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत वर्तमान में राजकीय राजस्व के नकद, चैक अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करवाने हेतु कोषालय/उपकोषालय के साथ सम्बद्ध एजेन्सी बैंक शाखा में ही मैनुअल चालान जमा करवाये जाने की सुविधा उपलब्ध है। वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के संदर्भित परिपत्र के द्वारा दिनांक 01.07.2017 से मैनुअल चालान को ई–मोड़ पर किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

प्रस्तावित नवीन प्रक्रिया में कोष/उपकोष से सम्बद्ध एजेन्सी बैंकों की राज्य में स्थित किसी भी शाखा में मैनुअल चालान (नकद, चैक, डी.डी.) जमा किए जाने की सुविधा दिनांक 01.07.2017 से प्रारम्भ की जा रही है। अतः आपके विभाग से संबंधित रेमीटर्स एवं अधीनस्थ कार्यालयों को नवीन प्रक्रिया से अवगत करावें ताकि मैनुअल चालान से राजकीय राजस्व रेमीटर अपनी सुविधानुसार एजेन्सी बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवा सके।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/e-GRAS/ 5253-5255 दिनांक 22/6/2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मैनुअल चालान को ई–मोड से किए जाने के संबंध में एजेन्सी बैंकों एवं एन.आई.सी. से समन्वय स्थापित कर वांछित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग को उक्त पत्र को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव